



दिनांक आह्रा या कार्यवाही	आह्रा विस्तृत रूप से
12/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य का क्या नान्तरवा हो गया सल्लकार में स्वस्त है। अतः पूर्व प्रमाणानुसार दिनांक 16/4/25 को पेश हो</p>
16.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वक्तुणाल परिकेन उपस्थिता पूर्वीरंण की पाठना गों पत्रावली दिनांक 11/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>
11.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिनन्ता अनुपस्थित। प्रार्थी/वादी की भाज न्यायालय में पृथक-पृथक सल्लकार कर लीन लीन नार आवाने लगवायी-गयी। प्रार्थी/वादी के उपरान्त भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं माने के कारण पत्रावली न्यायालय न्याय-9 निगम 3 प्रा. 2 की तहत कदम हाजरी व कदम पत्रकी में खारिज की जाती है। पत्रावली को सल्ल शुमार होकर नंबर से काम होकर दाखिल रहता है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>